

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर  
कार्यालय-आदेश

निम्नांकित कार्मिकों का उनके नाम के आगे अंकितानुसार लोक सेवा आयोग/विभाग के नियुक्ति अधिकारी के आदेशों के क्रम में इस विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त करने की सहमति/अनुमति प्रदान की जाती है। सम्बन्धित संस्था प्रधान को आदेशित किया जाता है कि संबंधित कार्मिक को उनके स्वयं के प्रार्थना-पत्र के आधार पर नियमानुसार कार्यमुक्त करें।

क्रसं	कार्मिक का नाम	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	विषय	जन्मतिथि	विवरण
01	रीतू परमार	टीडी-गिर्वा-उदयपुर	इतिहास	09.02.1988	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर के आदेश क्रं 0 एफ1(23-06) आरपीएससी / APPT/HRD/2017/08 दिनांक 15.11.2018

उक्त कार्मिक अगर परिवीक्षाधीन अवधि में है तो इनका विभाग में नियमानुसार लियन नहीं रहेगा। संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिकों को उनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर पालना से अवगत करावें। उक्त में से जो कार्मिक निर्वाचन सम्बन्धित कार्यों में दायित्वबद्ध हैं, वे सम्बन्धित निर्वाचन विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करें।

(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक-28/11/18

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-2/इति-वाणि/एनओसी/2018

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
- 2 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 3 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- 4 संबंधित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करवावें।
- 5 सम्बन्धित कार्मिक/निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय – आदेश

श्रीमती करुणा यादव, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर को दिनांक 10/12/2018 से 23/12/2018 तक दुबई में, विदेश भ्रमण (व्यक्तिगत कार्य) जाने हेतु अनापति प्रमाण पत्र एवं उक्त अवधि तक विदेश भ्रमण जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के आधार पर दी जाती है –

1. उक्त कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवकाश से अधिक नहीं ठहरेगें ।
2. उक्त कार्मिक का एक बार स्वीकृत अवकाश आगे नहीं बढ़ाया जायेगा ।
3. उक्त कार्मिक विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का डिप्लोमा/अध्ययन कार्य नहीं करेगा
4. विदेश से भिजवाये गये त्याग-पत्र को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
5. कार्मिक विदेश में सेवा नियोजन का कार्य नहीं करेगा ।
6. उक्त यात्रा का समस्त व्यय कार्मिक स्वयं के स्तर पर वहन करेगा ।

@tyo

(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राजविज्ञान/विदेश अनुज्ञा/17 दिनांक:- 28-11-2018  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
2. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
4. प्रधानाचार्य, राउमावि मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक द्वारा आवेदन अवकाश प्रार्थना पत्र नियमानुसार स्वीकृत कर विदेश यात्रा हेतु प्रस्थान करावें ।
5. संबंधित कार्मिक.....
6. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर